

571

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र-II, वड़ोदरा




(कार्यपालक निदेशक कार्यालय)

अंतर कार्यालय ज्ञापन

प्रेषक : केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (प.क्षे.-II), वड़ोदरा सेवा में : 1. उप महा प्रबंधक इंदौर / भोपाल  
सन्दर्भ सं. : प.क्षे.-II/का.नि./आर.टी.आई./ 571 / 2696 2. मु.प्रबंधक बिना  
दिनांक : 07.09.2018  
विषय : आर. टी.आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री कुबेर सिंह, भोपाल से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2018 संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि आवेदन करता द्वारा मांगी गयी जानकारी (बिन्दुवार)/दस्तावेज, दिनांक 15.09.2018 से पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें सादर।

  
(अभिनव वर्मा) 15/9/18

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-II, वड़ोदरा - सादर सूचनार्थ
2. प्रबंधक(सतर्कता), प.क्षे. II वड़ोदरा



पावरग्रिड

पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

पश्चिमी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - ॥

कार्यालय - भोपाल

अंतर कार्यालीन ज्ञापन

प्रेषक : उप महाप्रबंधक, भोपाल

प्रति : उप महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम.), वडोदरा

सन्दर्भ : प.क्षे.पा.प्र.-॥/भोपाल /


दिनांक : 07.09.2018

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

विषयांकित सम्बन्ध में श्री कुबेर सिंह पिता श्री निर्भय सिंह मीणा निवासी- ग्राम-नलखेडा, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल (म.प्र.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 765 के.वी. सिंगल सर्किट बीना-इंदौर पारेषण लाइन के राईट आफ वे में सागौन वृक्ष जो कि वर्ष-2014 में काटे गए थे, की विभिन्न जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन पत्र आपकी ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।

संलग्न : यथोपरि ।



(ए. के. चौरसिया)

प्रति,  
 श्री <sup>उपस्थ.</sup> माना/संबंधक महोदय (लोक सूचना अधिकारी)  
 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बोर्ड।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने संबंधित।

महोदय, निवेदन है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युत की 765 के०वी० एकल परिपथ वीना - इन्डौर पारेषण लाइन के नीचे आने वाले स्तंभों के पेड़ जो कि जुलाई 2014 में काटे गये हैं।

उपर सन्दर्भ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सौगंठ गई जानकारी निम्नानुसार है।

- ① सुरेश सिंह शंभुपाल सिंह कृषक (नलखेडा - मदनई), तहसील शिवा, जिला कोटा।  
 की लकड़ी किस-किस तारीख को काटी गई।
- ② भगवान सिंह, करन सिंह, श्री कमलिका 510 श्री निर्मल सिंह कृषक गलखेडा  
 की लकड़ी किस-किस तारीख को काटी गई है।
- ③ विभाग के फिदा अधिकारी/कर्मचारी के सुपरवाजन में लकड़ी काटी गई।  
 व 10 जुलाई 2014 को कोटा अधिकारी ने मंगुड रुफालकड़ी कराई।
- ④ उक्त लकड़ी किस-किस खसरा क्रम सूची से किस कार्य के लिए काटी गई।  
 और किसको दी गई और किस दिनांक को दी गई।
- ⑤ आपसे कार्यालय से तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी शिवा शिवा को जारी पत्र क्रम सं० 2/कोटा/ 2121 दिनांक 19/5/2014 की प्रमाणित धारा प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न:-

- ① सूचना के अधिकार का प्रपत्र प्रीकारा (ओकेड)
- ② शरीकीरेखा राशत गई की धारा प्रति।

दिनांक 28/8/2018

सुरेश सिंह  
 प्राणी

सुरेश सिंह 510 निर्मल सिंह शिवा  
 गम नलखेडा, तहसील शिवा-  
 जिला कोटा

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**  
**(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत**  
**आवेदन का प्रारूप)**

1. आवेदक का नाम ..... **कुंवरविन्द मीणा**
2. पूरा पता / ई-मेल / फ़ैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है। ..... **ग्राम नलखेड़ा, तहसील खैरिया, जिला मेवाड़**
3. दूरभाष क्रमांक ..... **9425013141,**
4. आवेदन देने का दिनांक ..... **संलग्न आवेदन अनुसार जानकारी उपलब्ध**
5. चाही गई जानकारी विवरण ..... **प्रमाणित धारा 17**
6. क्या चाहते हैं, नकल / निरीक्षण / रिकार्ड ..... **संलग्न आवेदन अनुसार जानकारी उपलब्ध**
7. निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना ..... **प्रमाणित धारा 17**
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रॉसेस की फी-रू. 10/- नगद / स्टाम्प (डीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. .... एवं दिनांक ..... **गरीब रेखा सूची ग्राम नलखेड़ा, 2008-09/50**

9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं  हाँ /  नहीं

यदि हाँ तो डी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

**कुंवरविन्द**  
 आवेदक  
 (आवेदनकर्ता)

टीप: यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नानज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

**पावती**

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....
  2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपरिष्ठ होने का दिनांक .....
- संबंधित शाखा / अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी।
- (नामक सूचना अधिकारी / सहायक सचिव सूचना अधिनियम, 2005)



कार्यालय जिलाध्यक्ष भोपाल (म.प्र.)  
(खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

178780

(परिवार पत्र (फैमिली कार्ड))

(म.प्र. फूडस्टफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक.....

खाता क्रमांक 171.....

1. परिवार के मुखिया का पूरा नाम..... श्री कुवेर सिंह
- पिता/पति का नाम..... श्री कृष्ण सिंह
2. वर्तमान पता:- वार्ड क्रमांक..... घर क्रमांक..... मोहल्ला.....  
ग्राम..... विकासखण्ड..... जिला.....
3. गरीबी-रेखा सर्वे सूची जारी 2006 (सर्वेक्षण 2002-2003) में क्रमांक.....  
क्रमांक..... कार्ड का प्रकार..... (अत्यधिक होने पर कृ. 50)
- क, ख, ग, घ श्रेणी.....
4. व्यवसाय/नौकरी..... पद.....  
मासिक आय.....
5. कार्यस्थल का पता.....
6. गैस कनेक्शनधारी का नाम..... उप. क्र.....  
कम्पनी..... एजेंसी.....
7. (अ) वयस्कों की संख्या..... कुल यूनिट.....  
(12 वर्ष से अधिक उम्र के)
- (ब) बालकों की संख्या..... कुल यूनिट.....  
(12 वर्ष तक)
- कुल पुरुष..... महिला..... कुल सदस्य..... कुल यूनिट.....  
(शब्दों में सदस्य)..... (शब्दों में यूनिट).....
8. रा.उ.नू. दुकान क्रमांक.....
9. दुकान का नाम व पता.....
10. हस्ताक्षर मुखिया.....
11. हस्ताक्षर दुकानदार.....

राशनकार्ड तैयार करने वाली अधिकारी  
नाम हस्ताक्षर  
जन. पंचा. बेरसिया जि.भोपाल

जारी करने वाले अधिकारी  
नाम हस्ताक्षर व सील  
तहसील बेरसिया

हॉ. जवाहर भवन  
रा.उ.नू. विभाग  
जिलाधिकारी कार्यालय  
शा. जवाहर भवन जि.भोपाल

परिवार

विवरण



श्री कृष्ण सिंह

सरपंच  
ग्राम पंचायत नलखेडो  
जिला भोपाल

क्र.	नाम	उम्र	मुखिया से सदस्य का रिश्ता
1	श्री कृष्ण सिंह	35	स्वयं
2	श्रीमति मन्मथाबाई	30	पत्नी
3	आशीष	05	पुत्र
4	कु. इन्द्र	06 माह	पुत्री
5	हरिनारायण	30	भाई
6	श्रीमति पूनकुंवर	26	पत्नी
7	अनकूल	04	पुत्र
8	चैतन	02	पुत्र
9			
10			
11			
12			

(बड़े सदस्य) 0.4 (छोटे सदस्य) 0.4 (कुल सदस्य) 0.8 कुल यूनिट 0.6

घोषणा पत्र

मैं श्री कृष्ण सिंह पिता/पति श्री कृष्ण सिंह घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दर्शाये गये व्यक्ति मेरे साथ ही सम्मिलित परिवार में रहते हैं और इनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी परिवार-पत्र (रेशनकार्ड) में कहीं भी दर्ज नहीं है। न इसके लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार हूँ। ना ही इनमें से किसी भी सदस्य के नाम पृथक से किसी भी योजना का कार्ड निर्मित है।

श्री कृष्ण सिंह  
हस्ताक्षर मुखिया

श्री कृष्ण सिंह

# पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(A Government of India Enterprise)



"आय.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित कंपनी" - "I.S.O. 9001 : 2000 Certified Company"

प्लॉट सं.54,रिया रेवती रिसोर्ट के पास,अम्बे विद्यालय के सामने समां सावली रोड, वडोदरा-390008(गुजरात,  
Plot No.54, Adjacent to Riya-Revati Resort, Opp Ambe Vidhyalaya, Sama Savli Road  
Vadodara - 390008(Gujarat) [averma@powergridindia.com](mailto:averma@powergridindia.com) दूरभाष:/Phone: (O) 0265-2712631

पश्चिम क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II, क्षेत्रीय मुख्यालय  
Western Region Transmission System - II, Regional Headquarters

प..क्षे-.II/जन सूचना/ 355  
सेवा में,

दिनांक : 04.10.2018  
06

Shri. Kuber Singh S/o.Nirbhai Singh Meena,  
Village Nalkheda, Tehsil Bairsiya,  
Dist.: Bhopal Madhya Pradesh


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी |

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक : 28.08.2018 ,इस कार्यालय में दिनांक 07.09.2018 को के.लो.सू.से .माफ़्त प्राप्त हुआ | आवेदन पत्र में पर मांगी गयी जानकारी साथ संलग्न कर प्रेषित है | अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है- :

श्री डी.के.सिंह ,अपीलीय अधिकारी,  
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,  
प्लॉट न.54, समा सावली रोड,  
वडोदरा - 390 008 (गुजरात).

धन्यवाद |

  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (CO)  
पश्चिम क्षेत्र - II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि |

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे-.II, वडोदरा - सादर सूचनार्थ
2. प्रबंधक ,(सतर्कता)प-क्षे.II वडोदरा ,

सेवा में,  
श्री कुबेर सिंह आत्मज श्री निर्भय सिंह मीणा  
ग्राम - नलखेड़ा, तहसील - बैरसिया,  
जिला - भोपाल

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।  
संदर्भ : आप का पत्र दिनांक 28.8.2018.

महोदय,  
आपके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि 765 के.वी. सिंगल सर्किट बीना-इन्दौर ट्रान्समिशन लाइन के राइट ऑफ वे में आने वाली भूमि पर किए गए वृक्षों की कटाई के कार्य के विषय में आप के द्वारा वांछित जानकारी का विवरण मदवार निम्नानुसार है :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज गोपाल सिंह कृषक नलखेड़ा मदनई, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल की भूमि पर दिनांक 08.7.14 एवं 09.7.14 को सागौन वृक्षों की कटाई का कार्य किया गया।
2. श्री भगवान सिंह, करन सिंह, भीकम सिंह आत्मज श्री निर्भय सिंह कृषक नलखेड़ा की भूमि पर दिनांक 09.7.14 से 28.7.14 के बीच में सागौन वृक्षों की कटाई का कार्य किया गया।
3. बिन्दु 3 की जानकारी के सम्बन्ध में निवेदन है कि पावरग्रिड का कार्य विभागीय उत्तरदायित्व के तहत सम्पादित किया जाता है। श्री मोहन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, पावरग्रिड, भोपाल और श्री पवन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, पावरग्रिड, भोपाल उपरोक्त वृक्षों की कटाई के दौरान कार्यस्थल पर उपस्थित थे। **fact**
4. उक्त लकड़ी खसरा क्रमांक 678, 679, 606, 607 एवं 245 भूमि से पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 765के.वी. सिंगल सर्किट बीना-इन्दौर विद्युत लाइन के अवरोधमुक्त तथा सुचारु रूप से विद्युत प्रवाह कार्य हेतु लाइन के राइट ऑफ वे में आने वाले वृक्षों की कटाई की गई है। काटे गए वृक्षों की लकड़ी को तुरन्त बाद ही वन विभाग को सौंप दी जाती है।
5. पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भोपाल से तहसीलदार को जारी पत्र संदर्भ संख्या 2124 दि.19.5.14 की छायाप्रति संलग्न है।

धन्यवाद।

कृते पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड





INTER OFFICE MEMO

प.क्षे.पा.प्र.- II / WRTS-II  
दिनांक / Date:  
15 OCT 2018  
आ.नं. / In. No. 73170

From : DGM, Indore

To : DGM (PESM), RHQ, Vadodara

Ref. : WR-II/IND /TLM/ 1893

Date : 01.10.2018

*[Handwritten signature]*  
15/10/18  
*[Handwritten signature]*

Sub : आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी।

आपके पत्र क्रमांक : प.क्षे.-II/का.नि./ आर.टी.आई./571/2696 dated 14.09.2018 के अनुसार

विषयांकित सम्बन्ध मे श्री कुबेर सिंह पिता श्री निर्भय सिंह मीना निवासी ग्राम नलखेड़ा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा सूचना के अधिनियम 2005 के अंतर्गत 765 kV S/C Bina-Indore पारेषण लाइन के राइट ऑफ वे मे सागौन व्रक्ष जो वर्ष 2014 मे काटे गए थे, जो की इंदौर jurisdiction मे नहीं आता हे। अतः हमारा jurisdiction LOC No. 628 जो की ग्राम पिपलरावा, तहसील सोंनकच, जिला देवास तक सीमित हे।

पत्र आपकी ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित हैं ।

*[Handwritten signature]*  
(D.K.Gupta) 15/10/18



## पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र-II, वड़ोदरा



(कार्यपालक निदेशक कार्यालय) इफित एन  
अंतर कार्यालय ज्ञापन कृष्ण कपिलानी

पावरग्रिड

प्रेषक : केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (प.क्षे.-II), वड़ोदरा

सेवा में : 1. उप महा प्रबंधक इंदौर / भोपाल

सन्दर्भ सं. : प.क्षे.-II/का.नि./आर.टी.आई./ 571 / 1696

2. मु.प्रबंधक बिना

दिनांक : 07.09.2018  
14

शक्तिशाली (सं प 33)

विषय : आर. टी.आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री कुबेर सिंह , भोपाल से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 28.08.2018 संलग्न है।

आपसे अनुरोध है कि आवेदन करता द्वारा मांगी गयी जानकारी (बिन्दुवार)/दस्तावेज, दिनांक 15.09.2018 से पूर्व प्रेषित करने का कष्ट करें सादर ।

अभिनव वर्मा  
(अभिनव वर्मा) 15/9/18

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि :

1. कार्यपालक निदेशक, प.क्षे.-II, वड़ोदरा - सादर सूचनार्थ
2. प्रबंधक(सतर्कता), प.क्षे. II वड़ोदरा



पावरग्रिड

पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

पश्चिमी क्षेत्र पारेषण प्रणाली - II

कार्यालय - भोपाल

अंतर कार्यालीन ज्ञापन

प्रेषक : उप महाप्रबंधक, भोपाल

प्रति : उप महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम.), वडोदरा

सन्दर्भ : प.क्षे.पा.प्र.-II/भोपाल /


दिनांक : 07.09.2018

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

विषयांकित सम्बन्ध में श्री कुबेर सिंह पिता श्री निर्भय सिंह मीणा निवासी- ग्राम-नलखेडा, तहसील-बैरसिया, जिला-भोपाल (म.प्र.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 765 के.वी. सिंगल सर्किट बीना-इंदौर पारेषण लाइन के साईट आफ वे में सागौन वृक्ष जो कि वर्ष-2014 में काटे गए थे, की विभिन्न जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

आवेदन पत्र आपकी ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है ।

संलग्न : यथोपरि ।

  
07/09/18

(ए. के. चौरसिया)

प्रति,

श्री <sup>उपमहा</sup>माना लक्ष्मण महोदय (लोक सूचना अधिकारी)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोषाला

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी उपलब्ध कराने का पत्र।

महोदय, निवेदन है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा विद्युत की 765 के.वी. एकल परिपथ वीना - इन्डौर परीक्षण लाइन के नीचे आने वाले सर्किट के पेड़ जो कि जुलाई 2014 में काटे गये थे। उपर सन्दर्भ में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सौकी गई जानकारी निम्नानुसार है।

- 1) सुन्दर सिंह धागेपाल सिंह कृषक (नलखेडा - मदनई), तहसील श्रीगंगा, जिला कोषाला की लकड़ी किस-किस तारीख को काटी गई।
- 2) भगवान सिंह, करन सिंह, श्री कमल सिंह 10 की निर्माय सिंह कृषक नलखेडा की लकड़ी किस-किस तारीख को काटी गई है।
- 3) विभाग के किस अधिकारी/कर्मचारी के सुपूनीजन में लकड़ी काटी गई। व 10 जुलाई 2014 को कौन अधिकारी ने मंगुड रफालकरी कराई।
- 4) अगर लकड़ी किस-किस खसरा क्रम सूक्ति से किस जगह के लिए काटी गई और किसको दी गई और किस दिनांक को काटी गई।
- 5) आपसे कार्यालय से तहसीलदार या अनुविभागीय अधिकारी शजाब खैरीगंगा को जारी पत्र क्रम सं. 2/कोषाला 2124 दिनांक 19/5/2014 की प्रमाणित धारा 19(1) उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्न:-

- 1) सूचना के अधिकार का प्रपत्र प्रेषित (आवेदन)
- 2) शरीकीरला राशद गड की धारा प्रति।

दिनांक 28/8/2018

सुन्दर सिंह  
साया

सुन्दर सिंह S10 निर्माय सिंह सीमा  
ग्राम नलखेडा, तहसील श्रीगंगा  
जिला कोषाला

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत  
आवेदन का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम ..... कुनेरविह मीणा
2. पूरा पता / ई-मेल / फ़ैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है। ..... ग्राम नलवेडा, तहसील वैरसिया, जिला भोपाल
3. दूरभाष क्रमांक ..... 9425013141
4. आवेदन देने का दिनांक ..... संलग्न आवेदक अनुसार जानकारी उपलब्ध
5. चाही गई जानकारी विवरण ..... प्रमाणित धाराप्रति
6. क्या चाहते हैं, नकल/निरीक्षण/रिकार्ड ..... प्रमाणित धाराप्रति
7. निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना ..... प्रमाणित धाराप्रति
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रॉसेस की फी-रू. 10/- नगद/स्टाम्प (डी.पी.एल. सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्र. .... एवं दिनांक ..... गरीबी रेखा सूची का नकल देना, 2008-09/50

क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं  हां/नहीं

यदि हां तो डी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

कुनेरविह  
हस्ताक्षर  
(आवेदनकर्ता)

टीप: यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का मानक्युडिशियन स्टाम्प चरखा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपरिष्ठ होने का दिनांक .....
3. संयोजित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी। .....

(लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गए)



कार्यालय जिलाव्यवस्था भोपाल (म.प्र.)  
(खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति एवं उपभोग सुरक्षण विभाग)

178430

(परिवार पत्र (फैमिली कार्ड))

(म.प्र. फूडस्टफ्स डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल आर्डर 1960 के अन्तर्गत जारी किया गया)

वार्ड क्रमांक.....

खाता क्रमांक..... 171.....

1. परिवार के मुखिया का पूरा नाम..... श्री कुवेर सिंह.....  
पिता/पति का नाम..... श्री निर्भय सिंह.....
2. वर्तमान पता:- वार्ड क्रमांक..... घर क्रमांक..... माहल्ला.....  
ग्राम..... विकासखण्ड..... जिला..... (म.प्र.)
3. गरीबी-रेखा सर्वे सूची जारी 2006 (सर्वेक्षण 2002-2003) में क्रमांक..... वार्ड क्रमांक.....  
क्रमांक..... कार्ड का प्रकार..... (अन्वयित होने पर कु. 50)
4. व्यवसाय/नौकरी..... पद.....  
मासिक आय.....
5. कार्यस्थल का पता.....
6. गैस कनेक्शनधारी का नाम..... उप. क्र.....  
कम्पनी..... एजेंसी.....
7. (अ) वयस्कों की संख्या..... कुल यूनिट.....  
(12 वर्ष से अधिक उम्र के)  
(ब) बालकों की संख्या..... कुल यूनिट.....  
(12 वर्ष तक)  
कुल पुरुष..... महिला..... कुल सदस्य..... कुल यूनिट.....  
(शब्दों में सदस्य)..... (शब्दों में यूनिट).....
8. श.उ.मू. दुकान क्रमांक.....
9. दुकान का नाम व पता.....
10. हस्ताक्षर मुखिया.....
11. हस्ताक्षर दुकानदार.....

राशनकार्ड तैयार करने वाले अधिकारी  
जन. पंचायत नमस्वेडा  
नाम हस्ताक्षर  
जन. पंचायत नमस्वेडा जि.भोपाल

जारी करने वाले अधिकारी  
तहसीलदार  
नाम हस्ताक्षर व सील  
तहसील वाराणसी

डॉ. रविशंकर भागवत  
जिला स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला स्वास्थ्य विभाग  
भोपाल

परिवार

विवरण



श्री. कृष्ण सिंह

सरपंच  
नलखेडा  
ग्राम पंचायत  
जयपुर जिला भोपाल

क्र.	नाम	उम्र	मुखिया से सदस्य का रिश्ता
1	श्री. कृष्ण सिंह	35	स्वयं
2	श्रीमति ममलाबाई	30	पत्नी
3	आशीष	05	पुत्र
4	कु. हनु	06 माह	पुत्री
5	हरिनारायण	30	भाई
6	श्रीमति फूलकुंवर	26	पत्नी
7	अजय	04	पुत्र
8	चैतन	02	पुत्र
9			
10			
11			
12			

(बड़े सदस्य) 04.. (छोटे सदस्य) 04.. (कुल सदस्य) 08.. कुल यूनिट 06..

घोषणा पत्र

मैं... श्री. कृष्ण सिंह... पिता/पति श्री. कृष्ण सिंह... घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दर्शाये गये व्यक्ति मेरे साथ ही सम्मिलित परिवार में रहते हैं और इनमें से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी परिवार-पत्र (राशनकार्ड) में कहीं भी दर्ज नहीं है। क इराक लिये पूर्णरूपेण जिम्मेदार हूँ। ना ही इनमें से किसी भी सदस्य के नाम पृथक से किसी भी योजना का कार्ड निर्मित है।

श्री. कृष्ण सिंह  
हस्ताक्षर मुखिया

श्री. कृष्ण सिंह